न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, उदयपुर

(पीठासीन अधिकारी : श्री ओ.पी.बुनकर, आर.ए.एस.)

प्रकरण स. : 04/2023 (अपील)

GCMS No. 2023/00026

अनवान

1. श्रीमती शमशाद बेगम पत्नी निसार खान मुसलमान निवासी ग्राम चावण्ड, तहसील सराडा जिला उदयपुर ।

— अपीलान्ट

बनाम

1. सरकार जरिये तहसीलदार सराडा तहसील सराडा, जिला—उदयपुर।

— रेस्पोडेन्ट

उपस्थित

1. श्री भगवतसिंह शक्तावत, अपीलान्ट अधिवक्ता।
2. श्री कल्पित जैन, अधिवक्ता रेस्पो.

अपील अंतर्गत धारा 75, राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956

अपील विरूद्ध तहसीलदार सराडा के संपरिवर्तन आदेश 209—11 दिनांक 03.07.2019

* निर्णय *

दिनांक— 30-06-2023

अपीलाण्ट द्वारा अपील अन्तर्गत धारा 75, राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 मय धारा 5 अवधि अधिनियम के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलाण्ट के स्वामित्व व आधिपत्य की ग्राम चावण्ड भू.अ.नि. केजड की आराजी नम्बर 2727 रकबा 0.2200 हे. भूमि स्थित है जिसे रेस्पोडेन्ट द्वारा संपरिवर्तन करने के पश्चात् राजस्व रेकार्ड में आराजी नम्बर 5720/2727 रकबा 0.0500 हे. भूमि बिलानाम गैर काबिल काश्त व आराजी नम्बर 5721/2727 रकबा 0.1700 हे. भूमि किस्म आबादी में दर्ज की गई है। अपीलाण्ट ने माह जून 2019 में हल्का पटवारी से अपनी खातेदारी की आराजी नम्बर 2727 रकबा 0.2200 हे. भूमि को आबादी में संपरिवर्तित कराने हेतु संपर्क किया था । अपीलाण्ट अनपढ होकर ग्रामीण परिवेश की महिला है जिसका नाजायज लाभ उठाकर हल्का पटवारी द्वारा भू. माफियाओं से मिलीभगतकर अपीलाण्ट की भूमि से आगे की भूमि के खातेदारों को नाजायज लाभ पहुंचाने के लिए अपीलाण्ट के स्वामित्व की आराजी नम्बर 2727 में से 0.0500 हे. भूमि को अपीलाण्ट की जानकारी के बिना अपीलांट के हस्ताक्षर खाली कागजों पर करवाकर अपीलाण्ट की खातेदारी की 0.0500 है. भूमि को रेस्पोडेन्ट के पक्ष में समर्पण आदेश दिनांक 14.06.2019 से समर्पित करवा नये आराजी संख्या 5721/2727 रकबा 0.0500 है. भूमि बिलानाम गैर काबिल काश्त राजस्व रेकार्ड में दर्ज कर दी। अपीलाण्ट ने उक्त समर्पण आदेश दिनांक [illegible]2019 के विरूद्ध अपील आप माननीय न्यायालय के समक्ष पेश की जिसके प्रकरण संख्या 1/2[illegible] अपील, अनवान शमशाद बेगम बनाम राज्य जरिये तहसीलदार सराडा, निर्णय दिनांक 12.04.2023 को अपील निर्णित कर [illegible] अभिनिर्धारित किया गया कि ''समर्पण जो कि संपरिवर्तन का ही हिस्सा है व अपीलाण्ट द्वारा संपरिवर्तन को निरस्त

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash Bunkar
Date: 2023.08.01 17:08:18 IST
Reason: SelfAttested

करने की कोई प्रार्थना नहीं की गई है, केवल मात्र समर्पण आदेश को निरस्त कराना चाहते है जो संभव नहीं है'' जिससे अपीलाण्ट द्वारा संपरिवर्तन आदेश दिनांक 03.07.2019 को निरस्त कराने बाबत् उक्त अपील श्रीमान के समक्ष प्रस्तुत है।

आक्षेपित संपरिवर्तन आदेश दिनांक 03.07.2019 से अपीलाण्ट की खातेदारी की आराजी संख्या 2727 रकबा 0.2200 है. भूमि में से 0.1700 है. भूमि आवासीय कर नये नम्बर 5721/2727 किस्म आबादी दर्ज कर दी गई है। अपीलाण्ट की सम्पूर्ण 0.2200 है. भूमि संपरिवर्तन नहीं किये जाने से अपीलाण्ट व्यथीत होने से अपीलाण्ट आक्षेपित आदेश दिनांक 03.07.2019 को निरस्त करवा संपरिवर्तित भूमि को आवासीय से पुनः कृषि भूमि दर्ज करवाना चाहता है। अपीलाण्ट को रेस्पोडेन्ट द्वारा अपीलाण्ट के पति निसार खान को प्रेषित नोटिस अन्तर्गत धारा 91 एलआरएक्ट का दिनांक 18.11.2022 को पेशी पर उपस्थित होने बाबत् मिलने पर अपीलाण्ट ने रेस्पोडेन्ट के कार्यालय में जानकारी की तो अपीलाण्ट की खातेदारी की 0.0500 है. भूमि रेस्पोडेन्ट के खाते दर्ज होने की जानकारी हुई जिस पर अपीलाण्ट द्वारा समर्पण आदेश के विरूद्ध अपील प्रस्तुत की गई, जिसमें संपरिवर्तन को निरस्त कराये बिना समर्पण आदेश निरस्त नहीं होना अभिनिर्धारित किया गया जिससे उक्त आक्षेपित संपरिवर्तन आदेश के विरूद्ध अपील प्रस्तुत की गई है। अपीलाण्ट अनपढ महिला होकर ग्रामीण परिवेश की है, उसे विधि का ज्ञान नहीं है जिससे जानकारी होते ही अपील प्रसतुत की है। अतः निवेदन है कि अपीलाण्ट की अपील स्वीकार फरमाई जाकर तहसीलदार सराडा का आक्षेपित संपरिवर्तन आदेश दिनांक 03.07.2019 को निरस्त फरमाया जावे व पूर्व में 0.0500 है. भूमि के समर्पण आदेश को निरस्त फरमा अपीलाण्ट की ग्राम चावण्ड तहसील सराडा, उदयपुर की आराजी संख्या 2727 रकबा 0.2200 है. सम्पूर्ण भूमि को समर्पण व संपरिवर्तन आदेश के पूर्ववत स्थिति अनुसार कृषि भूमि दर्ज करने का आदेश प्रदान फरमावे।

प्रकरण बाद जांच दर्ज रजिस्टर किया गया एवं रेस्पोडेन्ट्स को नोटिस/सूचना पत्र जारी किये जाकर अपना पक्ष/प्रत्युत्तर प्रस्तुत करने का अवसर दिया गया। प्रकरण मे रेस्पोडेन्ट्स संख्या 1 की ओर से राजकीय अधिवक्ता कल्पित जैन उपस्थित होकर प्रकरण में बहस करना चाहा। प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली को तलब की गई। प्रकरण मे उभय पक्षकारान की बहस सुनी गई।

विद्वान अधिवक्ता अपीलान्ट्स ने बहस प्रारम्भ करते हुए अपील मे वर्णित तथ्यो को दोहराया एवं निवेदन किया कि आराजी नम्बर 2727 रकबा 0.2200 है. भूमि में से 0.1700 है. भूमि का संपरिवर्तन किया एवं शेष भूमि को अन्य खातेदारों को नाजायज लाभ पंहुचाने के लिए धोखे से समर्पण करा दी गई है। अतः संपरितर्वन आदेश को निरस्त किया जाने का निवेदन किया। विद्वान अधिवक्ता राजपैरोकार द्वारा अपनी बहस में तर्क किया कि संपरिवर्तन एवं समर्पण अपीलाण्ट द्वारा अपनी इच्छा से किया गया है, शपथ पत्र मय स्टाम्प लिख कर दिया है। तहसीलदार द्वारा संपरिवर्तन समर्पण हेतु की गई कार्यवाही नियमानुसार होने से अपील खारिज किये जाने का निवेदन किया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash Bunkar
Date: 2023.08.01 17:08:18 IST
Reason: SelfAttested

हमने उभय पक्षकारान की बहस पर मनन किया। पत्रावली से अपीलान्ट्स द्वारा प्रस्तुत अपील का अध्ययन किया। अपीलाण्ट्स द्वारा अपील मय धारा 5 [illegible] अधिनियम के तहत पेश की गई है। अपीलाण्ट्स द्वारा नकल प्राप्त करने पर जानकारी में अ[illegible] बताया है। जानकारी में आते ही अपील

प्रस्तुत की गई जो जो अन्दर मयाद प्रतीत होती है। अतः न्यायहित में प्रार्थना पत्र धारा 5 अवधि अधिनियम का स्वीकार किया जाता है।

मूल प्रकरण के अवलोकन से यह प्रतीत होता है कि अपीलाण्ट द्वारा आराजी नम्बर 2727 रकबा 0.2200 हे. भूमि रेस्पोडेन्ट द्वारा संपरिवर्तित करने के पश्चात राजस्व रेकार्ड में आ.न. 5720/2727 रकबा 0.0500 हे. बिलानाम गैर काबिल काश्त एवं आराजी नम्बर 5721/2727 रकबा 0.1700 हे. भूमि किस्म आबादी दर्ज की गई है। उक्त भूमि को अपीलाण्ट द्वारा संपरिवर्तन की कार्यवाही के दौरान भूमि समर्पण हेतु आवेदन किया जिस पर तहसीलदार सराडा द्वारा नियमानुसार कार्यवाही करते हुए संपरिवर्तन एवं समर्पण की कार्यवाही की गई। अपीलाण्ट का तर्क है कि सम्पूर्ण भूमि रकबा 0.2200 है. के संपरिवर्तन का निवेदन किया गया था, जबकि पटवारी हल्का द्वारा अन्य खातेदार को नाजायज लाभ दिलाने के लिऐ 0.0500 है. भूमि को समर्पण करा दी गई है। अपीलाण्ट द्वारा संपरिवर्तन आदेश की शर्तो की पालना नहीं करना बताया एवं संपरिवर्तन आदेश को निरस्त कराना चाहता है। अपीलाण्ट द्वारा संपरिवर्तन के दौरान संपरिवर्तन हेतु राजकोष में जमा कराया शूल्क की मांग नहीं करने पर सहमति व्यक्त की है। चूंकि अपीलाण्ट स्वंय उक्त संपरिवर्तन आदेश को राजकोष में जमा राशि की बिना मांग किये निरस्त कराना चाहता है। अपीलाण्ट ने स्वंय अपनी कृषि भूमि को संपरिवर्तन कराया जिसे पुनः कृषि भूमि दर्ज कराना चाहता है। मौके पर संपरिवर्तन की शर्तो की पालना नहीं करना बताया है एसी स्थिति में पुनः अपीलाण्ट की भूमि को कृषि भूमि किया जाना उचित है। अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार योग्य पाई जाती है।

अतः अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील अन्तर्गत धारा 75, राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 का स्वीकार की जाकर तहसीलदार सराडा द्वारा प्रकरण संख्या 19/2019 संपरिवर्तन आदेश क्रमांक राजस्व/संपरिवर्तन /2019/209–11 दिनांक 03.07.2019 को निरस्त किया जाता है एवं संपरिवर्तन से पूर्व की स्थिति बहाल की जाकर मौजा चावण्ड पटवार हल्का चावण्ड की आ.न. 2727 रकबा 0.2200 है. सम्पूर्ण भूमि को पूर्ववत कृषि भूमि दर्ज किया जाने का आदेश दिया जाता है। अधीनस्थ न्यायालय की मूल पत्रावली मय निर्णय की प्रति के साथ लौटाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(ओ.पी.बुनकर)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
उदयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Om Prakash Bunkar
Date: 2023.08.01 17:08:18 IST
Reason: SelfAttested